छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 12@2015@परीक्षा@दिनांक 11/12/2015 **प्रकाशन की तिथि 16/12/2015**

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा – 2015

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30/12/2015 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 28/01/2016 रात्रि 11:59 बजे तक

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 24 अप्रैल 2016, रविवार पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 30@12@2015 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 28@01@2016 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/01/2016 अपरान्ह 12:00 बजे से 06/02/2016 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

¼**1**½ भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के fof/k ,oa fo/kk;h dk;Z foHkkx के अंतर्गत 0;ogkj U;k;k/kh'k ¼izos'k Lrj½ ds fuEufyf[kr पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित हैः–

स.क्र	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की oxZokj संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से efgykvksa के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से fu%'kDr tuksa के लिए आरक्षित पद	;ksx	osrueku ¼ ₹ ½
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0;ogkj U;k;k/kh'k ¼izos'k Lrj½ विधि एवं विधायी कार्य विभाग	13	04	09	04	04	01	03	01	01 ¼vfLFk ckf/kr½	30	27700-770-33090-920-40450-1080-44770
										;ksx%&	30	

<u>egRoiw.kZ Vhi</u> :–

1- ink dh lsok ifjoh{kkf/kh; gSA

2- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।

3- केवल अस्थिबाधित निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

4- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

5- fjfDr;ksa esa vkj{k.k %&

¼**i**½ उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

¼**ii**½ NÙkhlx<+ jkT; ds mi;qZDr J.kh ds vfrfjDr vU; lHkh ¼NRrhlx<+ jkT; ds vukjf{kr ,oa NRrhlx<+ jkT; ds vfrfjDr vU; jkT; ds vH;FkhZ½ ds vkosnu vukjf{kr J.kh ds vUrxZr vk,axsA

6- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **Appendix - 'A', 'B', 'C'** एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी **Appendix - 'D'** में उल्लेखित है।

7- <u>vkuykbu vkosnu djus ds iwoZ vH;FkhZ fu;eksa dk voyksdu dj Lo;a lqfuf'pr dj ysa fd mUgsa ijh{kk esa lfEefyr gksus dh ik=rk gS vFkok ughaA ;fn dksbZ vH;FkhZ ijh{kk ds fdlh Hkh pj.k esa vFkok ijh{kkQy ?kksf"kr gksus ds ckn Hkh vugZ ¼**Ineligible**½ ik;k tkrk gS vFkok mlds }kjk nh xbZ dksbZ Hkh tkudkjh xyr ikbZ tkrh gS rks mldh vH;fFkZrk@p;u ifj.kke fujLr fd;k tk ldsxkA</u>

Øe'k%

¼2½ **lsok dh 'krsZ&**

¼i½ सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 यथा संशोधित द्वारा शासित होगा।

¼ii½ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के अधीन होगा।

¼iii½ परिवीक्षा अवधि छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के अनुसार होगा।

¼iv½ किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त किया जा सकता है।

¼v½ चयनित उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

¼3½ **in dk fooj.k ,oa 'kS{kf.kd vgZrk%&**

¼i½ 0;ogkj U;k;k/kh'k ¼izos'k Lrj½

¼ii½ Js.kh %& jktif=r&f}rh; Js.kh

¼iii½ osrueku %& ¼#-½ **27700-770-33090-920-40450-1080-44770**

¼iv½ **vko';d 'kS{kf.kd vgZrk %&**

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि।

egRoiw.kZ uksV%&

¼i½ vH;FkhZ ds ikl mi;qDr vko';d 'kS{kf.kd vgZrk,sa ,oa vU; vgZrk,sa dk ^^izek.k&i=** vkWuykbu vkosnu djus gsrq fu/kkZfjr vafre frfFk vFkok mlds iwoZ izkIr dj fy;k gksuk pkfg,A **vkWuykbu vkosnu djus dh vafre frfFk ds ckn dh frfFk dk tkjh dh xbZ 'kS{kf.kd vgZrk,sa ,oa vU; vgZrk,sa ds izek.k&i= ekU; ugha gksxsA**

¼ii½ vkWuykbu vkosnu ds lkFk dksbZ Hkh izek.k i= layXu djus dh vko';drk ugha gSA

¼4½ fu/kkZfjr vk;q lhek%&

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2016 को 21 o"kZ ls de rFkk 35 o"kZ ls vf/kd u gksA mPprj vk;q lhek esa fuEukuqlkj NwV dh ik=rk gksxh%&

¼i½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

¼ii½ महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित) के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

¼iii½ छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट होगी।

¼5½ **vH;FkhZ vkWuykbu vkosnu djus ds igys foKkiu esa nf'kZr vko';d 'kS{kf.kd vgZrk,sa ,oa vk;q ds vuq:i viuh vgZrk dh tkap dj Lo;a lqfuf'pr dj ysa ,oa vgZrk dh leLr 'krksZa dk iwjk djus dh fLFkfr esa gh i.kZr;k lar"V gksus ij gh oss vkosnu&i= HkjsaA** परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा p;u ds fdlh Hkh Lrj ij vH;FkhZ ds vugZ ik;s tkus ij mldk vkosnu&i= fcuk dksbZ lwpuk fn;s fujLr dj mldh vH;fFkZrk lekIr dj nh tk,xhA

¼6½ lk{kkRdkj ds iwoZ okafNr nLrkostksa dk izLrqr fd;k tkuk%&

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

¼i½ आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

¼ii½ विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

¼iii½ पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा–स्नातक उपाधि, आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। **vH;FkhZ ;g lqfuf'pr dj ysa fd vkosfnr in gsrq okafNr vko';d 'kS{kf.kd vgZrk,sa ,oa vU; vgZrk,sa ls lacaf/kr izek.k i= vk;ksx dks vkWuykbu vkosnu i= Hkjus dh vafre frfFk rd vko';d :i ls izkIr dj fy;k gSA** vkWuykbu vkosnu djus dh vafre frfFk ds ckn dh frfFk dks tkjh dh xbZ mikf/k@vU; izek.k i= ekU; ugha fd;k tk,xkA

¼iv½ अस्थिबाधित निःशक्तजन के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को **अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता** का प्रमाण–पत्र।

¼v½ tkfr izek.k i= %&

¼a½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो l{ke izkf/kdkjh }kjk tkjh LFkk;h tkfr izek.k&i= izLrqr djuk gksxkA

¼b½ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

¼c½ अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

¼d½ ;fn fu/kkZfjr mPprj vk;q lhek esa NwV pkgh xbZ gS rks fuEu nLrkost@izek.k i= vfuok;Zr% izLrqr djsa%&

¼i½ विज्ञापन की कंडिका – **4¼i½** एवं **4¼iii½** के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

¼7½ fu;ksDrk dk vukifRr izek.k&i= %&

¼i½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

¼ii½ यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

¼iii½ यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Øe'k%

¼8½ vkijkf/kd vfHk;kstu %&

(A) ,sls vH;FkhZ dks vkijkf/kd vfHk;kstu ds fy, nks"kh Bgjk;k tk,xk ftlus vk;ksx us fuEufyf[kr ds fy, nks"kh ik;k gks%&

¼**i**½ जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

¼**ii**½ पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

¼**iii**½ किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

¼**iv**½ फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

¼**v**½ चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

¼**vi**½ परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

¼**vii**½ ijh{kk@lk{kkRdkj d{k esa vuqfpr lk/kuksa dk mi;ksx fd;k gks ;k djus dk iz;kl fd;k gks] ;k

¼**viii**½ परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

¼**ix**½ प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

¼**x**½ परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

¼**xi**½ NRrhlx<+ yksd lsok vk;ksx ds Hkou ifjlj@ijh{kk dsUnz ifjlj esa ekckby Qksu@lapkj ;a= iz;qDr djuk ;k mYya?ku fd;k gksA

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

¼**i**½ आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

¼**ii**½ उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

¼9½ vugZrk%& छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

¼**i**½ कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

¼**ii**½ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

¼**iii**½ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

¼**iv**½ कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

¼**v**½ कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

¼**vi**½ कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

¼10½ p;u izfØ;k %& विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

¼**i**½ उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

¼**ii**½ परीक्षा योजना एवं एवं पाठ्यक्रम **Appendix - 'A', 'B', 'C'** में दिया गया है।

¼11½ vkWuykbZu vkosnu gsrq vkosnu 'kqYd %&

¼**i**½ izkjfEHkd ijh{kk gsrq छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं निःशक्तजन की श्रेणी में आते हैं के लिए रूपये 300@& (रूपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400@& (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

¼**ii**½ eq[; ijh{kk के लिए अर्ह उम्मीदवारों को पृथक से निम्नानुसार परीक्षा/आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगाः–

छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं निःशक्तजन की श्रेणी में आते हैं के लिए रूपये 300@& (रूपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400@& (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

¼12½ vkWuykbu ijh{kk ds lEcU/k esa %&

¼**i**½ आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

¼**ii**½ अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत

Øe'k%

प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

¼13½ ;k=k 0;; dk Hkqxrku %&

¼i½ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

¼ii½ lk{kkRdkj d fy; – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार dfMdk 13¼i½ में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

¼14½ foKfIr e mYyf[kr 'kr@egRoi.k fun'k@tkudkjh vkfn का निर्वचन ¼**Interpretation**½%&

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

lgh@&
lfpo
NRrhlx< ykd lok vk;kx]
jk;iij

Appendix - 'A'

O;ogkj U;k;k/kh'k ¼izos'k Lrj½ ijh{kk&2015

Examinations Scheme

The Examination shall be conducted by the CGPSC in three parts for the aforesaid post. In the first part Preliminary Examination shall be conducted to restrict the number of candidates to the reasonable limit for the Main Examination.

Scheme and syllabus for the Online Preliminary Examination & Main Examination has been published in the advertisement under **Appendix 'B'** and **Appendix 'C'**. Information regarding Date & Time of Main Examination will be published later on.

Scheme of Online Preliminary Examination:-

(1) Question paper for Online Preliminary Examination shall be of 100 marks and will consist of 100 objective type questions. Each question will have four options for answer, out of which one option will be the correct answer.

(2) Candidates shall have to tick the correct option.

(3) Online Preliminary Examination Paper (Objective Type) shall be evaluated as per entries made on online exam to be assessed on Computer.

(4) The language of question paper of Online Preliminary Examination and Main written Examination will be English and Hindi.

(5) The relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Online Preliminary Examination in the **ratio of 1:10** having regard to the number of vacancies shall be declared qualified for appearing in the Main Examination. The candidates obtaining equal marks as obtained by the last qualified candidates shall also be declared as qualified, though, in consequence the number of candidates declared as qualified may exceed the parameter of 10 times the number of Notified Vacancies. The same procedure will be adopted for Viva-voce in the Main Examination while declaring the candidates qualified on the basis of merit possibly three times against the number of vacancies.

(6) The final selection will be on merit on the basis of total marks obtained in the written (Main) Examination and Viva-voce. The decision of the CGPSC with regard to calling the candidates for Viva-voce will be final. The maximum 15 marks are fixed for Viva-voce.

Note :-

(a) There shall be a screening test in the Online Preliminary Examination to shortlist candidates for the Main Examination. **The mark sheet for Online Preliminary Examination will not be issued, nor the marks obtained in that Examination will be added while preparing merit list of the Main Examination.**

(b) The candidates remaining absent in the Viva-voce shall be disqualified for the selection.

(7) **Examination Centre:-**

For Preliminary Exam	For Main Exam
1. Ambikapur	1. Bilaspur
2. Bilaspur	2. Raipur
3. Durg-Bhilai	
4. Jagdalpur	
5. Raipur	

Note:- It is not necessary that the Examination centre opted by the candidates will be allotted to them. Looking to the capacity and administrative convenience, the CGPSC will allot the Examination centre even other than mentioned or may delete any examination centre given in the list. The candidates shall have to appear in Examination at the allotted centre.

Appendix - 'B'

(a) Online Preliminary Examination

(No. of Question - 100, Time - 2:00 Hour, Marks - 100)

The Online Preliminary Examination shall be of the duration of two hours consisting of **100 objective type questions** from the following:-

1. Indian Penal Code
2. Code of Civil Procedure
3. Code of Criminal Procedure
4. Indian Evidence Act
5. Constitution of India
6. Transfer of Property Act
7. Contract Act
8. Limitation Act
9. The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011
10. Court Fees Act
11. Specific Relief Act
12. Registration Act
13. Chhattisgarh Land Revenue Code.
14. The Negotiable Instruments Act, 1881
15. The Chhattisgarh Excise Act, 1915

Appendix - 'C'

(b) Main Examination (Written)

(Time - 3:00 Hour, Marks - 100)

For Main Examination, the relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be called for final Examination to be conducted which shall consist of:

(i) Framing of issues and writing of Judgement in Civil Cases

(Maximum Marks - 40)

(ii) Framing of charges and writing of Judgement in Criminal Cases

(Maximum Marks - 40)

(iii) Translation:-

(1) English to Hindi-

(Maximum 10 marks)

(2) Hindi to English-

(Maximum 10 marks)

(c) Viva-Voce:-

Having regard to the number of vacancies, relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Main Examination shall be called in the ratio of 1:3 for the viva-voce. **The maximum marks for viva-voce would be 15.**

Appendix - 'D'

<u>vkuykbu vkonu dju d lc/k e fun'k ,o vU; tkudkjh</u>

vkuykbu vkonu dju d lc/k e vko';d fun'k fuEuku lkj g%&

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

<u>vkuykbu vkonu gr lfØ; fyd oclkbV **www.psc.cg.gov.in** ij fu/kkfjr frfFk;k e miyC/k jgxA</u>

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई. डी. इत्यादी की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।

(2). सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाईल व ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि रसीद पर Payment Staus के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

(5). vkuykbu vkonu d fy, viykM fd, tku gr] vH;FkhZ d QkVkxkQ lc/kh funZk%& आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु foKkiu tkjh gku dh frfFk या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल फोटो को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). vkuykbu vkonu d fy, viykM fd, tku gr] vH;FkhZ d gLrk{kj lc/kh funZk%& ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). vk;kx }kjk vkuykbu vkonu dju dh ifØ;k e ;g le> fy;k x;k g fd] vkond }kjk tk tkudkjh vkuykbu vkonu e vfdr dh tk jgh g og iekf.kr tkudkjh gA vr% vkuykbu vkonu **Submit** dju d iod vkond viu vkonu dh leLr ifof"V;k dk lko/kkuhiod HkyhHkkfr i< ,o le> yA vkond viu }kjk nh xbZ tkudkjh l lrq"V gku d iÛpkr gh vkuykbu vkonu dk **Submit** cVu fDyd dj tek dj rFkk vkonu 'kYd vnk djA

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ–साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाईल व ई–मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ–साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाईल व ई–मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रुप में अभ्यर्थी को रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। vfre frfFk d iÛpkr vkuykbu vkonu dh ifof"V e fdlh Hkh idkj dk lÛkk/ku ugh fd;k tk,xk rFkk bl lc/k e vk;kx fdlh Hkh vH;konu ij fopkj ugh djxkA आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

(11). vkond ;g /;ku j[k fd foKkfir in d vkonu i= e gbZ fdlh Hkh =fV dk l/kkj p;u d fdlh Hkh Lrj ij ugh fd;k tk ldxkA vr% vH;FkhZ viuk vkonu vR;r lko/kkuh iod HkjA ;fn fQj Hkh dkbZ =fV gkrh g rk =fV l/kkj vof/k e okfNr l/kkj dj yA

(12). vkuykbu vkonu@=fV l/kkj gr ikVy 'kYd %&

¼i½ प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) देय होगा।

¼ii½ ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर

Øe'k%

आवेदक द्वारा रुपये 15 / — (सेवा कर पृथक) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

¼iii½ प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 15 (सेवा कर पृथक) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

¼iv½ परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

ukV%&

(i) vkond jlhn esa nh xbZ tkudkfj;ka dks /;kuiwoZd i<+ ysa vkSj vius ikl lqjf{kr j[ksaA

(ii) tkudkjh dh 'kq)rk ,oa lR;rk rFkk vkosnu izfØ;k iw.kZ djus dk iwjk mRrjnkf;Ro vkosnd dk gksxkA

(iii) fdlh Hkh lkbcj dSQs vFkok vU; lLFkku ds ek/;e ls vkosnu djrs le; vkosnd vkuykbu vkosnu dh izfd;k viuh fuxjkuh esa gh djok,aA vkuykbu vkosnu esa gqbZ fdlh Hkh izdkj dh =qfV ds fy, vkosnd lkbcj dSQs vFkok vU; lLFkku vFkok vk;ksx dks mRrjnk;h ugha Bgjk ldsxkA

(iv) dkMZ@usVcSfdax@dS'k fMikWftV ds ek/;e ls fdlh Hkh 'kqYd ds Hkqxrku dh izfØ;k esa ;fn lcfU/kr cSad }kjk fdlh izdkj dk lsok 'kqYd fy;k tkrk gS rks mlds Hkqxrku dk nkf;Ro vkosnd dk gksxkA vkosnd vkuykbu cSfdax ds nkSjku fQfLkx@gSfdax vFkok vU; lkbcj xfrfof/k ls cpus ds fy, Lo;a ftEesnkj gksaxsA

(v) ,sls vkosnu Lohdkj ugha fd, tk,xs ftUgsa vkuykbu Hkjus ds ckn fizaV ysdj NRrhlx< ykSd lsok vk;ksx dks Mkd ;k fdlh vU; ek/;e ls Hksts tk,xsA ijh{kk 'kqYd ds fy, fdlh Hkh izdkj dk MªkQV Hkh Lohdkj ugha gksxkA ,slk djus ij vkosnuksa dks ekU; u djrs gq, fujLr dj fn;k tk,xk] vkSj mldh ftEesnkjh vkosnd dh gh ekuh tk,xhA

iwoZ i= o lk{kkRdkj gsrq cqykok i=%&

(1) प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी) / स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी) / जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत) / सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी) / पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / डाकघर द्वारा जारी) / छात्र पहचान पत्र (स्कूलों / कालेजों द्वारा जारी) / बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड / संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे—पट्टा, पंजीकृत डिड्स / एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) / फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश / शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष / जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।